

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 166 /21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

पुरासान गाँवों के संग  
इतिहास-2021  
3-4-21

उनवान

- 1- देवकिशन पिता उदेराम जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 2- राजू लाल पिता देवकिशन जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 3- हरफूल पिता देवकिशन जाट निवासी फुलिया खुर्द

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कैलाश पिता मिश्रीलाल जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 2- रामजस पिता रामचन्द्र जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 3- जगदीश पिता रामचन्द्र जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 4- छगना पिता मांगीलाल जाट निवासी फुलिया खुर्द
- 5- रामस्वरूप पिता सोनाथ जाट निवासी फुलिया खुर्द

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 02/10/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1139 रकबा 0.99 है0, 1273 रकबा 0.19 है0, 1396 रकबा 0.22 है0, 1397 रकबा 0.15 है0, 1520 रकबा 0.09 है0, 1537 रकबा 0.14 है0, 1553 रकबा 0.03 है0, 1556 रकबा 0.02 है0, 1601 रकबा 0.22 है0, 1636 रकबा 0.40 है0, 2182 रकबा 0.39 है0, 2183 रकबा 0.01 है0, 41 रकबा 0.76 है0, 92 रकबा 0.30 है0 कुल कित्ता 14 रकबा 3.91 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम फुलिया खुर्द संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा फुलिया खुर्द में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 1553, 1556, 2183 रकबा क्रमशः 0.03 है0, 0.02 है0, 0.01 है0 है0 किस्म क्रमशः गेमु. बाड़ा, गेमु. बाड़ा, गेमु. रास्ता होने से उक्त आराजीयात् को छोड़कर शेष कित्ता 11 रकबा 3.85 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला (भीलवाड़ा) राज.

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला (भीलवाड़ा) राज.